म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/ 210 भोपाल, दिनांक 28 /01/2015

प्रति,

सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
..... जिला ..... (म.प्र.)

विषय:- कृषि उपज मण्डी समितियों को मण्डी प्रांगण के विकास हेतु बोर्ड से ऋण/अनुदान प्रदाय करने संबंधी नीति।

संदर्भ:- बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक/ बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/40-41 दिनांक 18.6.2012

-0-

उपरोक्त संदर्भ अनुसार प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में कृषकों एवं व्यापारियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये मण्डी समितियों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये मण्डी बोर्ड द्वारा ऋण/अनुदान नीति प्रचलित है। वर्तमान में मंडियों को दी जाने वाली ऋण की पात्रता/सीमा वर्ष 2004 में निर्धारित की गई थी। वर्तमान समय में निर्माण कार्यो की लागत एवं मूल्य सूचकांक में कई गुना वृद्धि होने के फलस्वरूप निर्धारित ऋण की सीमा में वृद्धि करना आवश्यक है। संदर्भित पत्र के पैरा-2 में मण्डी समितियों को उधार में कतिपय संशोधन किये जाकर निम्नानुसार ऋण नीति निर्धारित की जाती है :-

2. मण्डी समितियों को उधार :-

म0प्र0 कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 के नियम-8(सात) मण्डी समितियों को उधार की मंजूरी के लिये पात्रता एवं अन्य शर्ते तय की गई है। इन शर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्ते निर्धारित की जाती है:-

(1) जिन मण्डी समितियों पर पूर्व के स्वीकृत ऋण एवं ब्याज की राशि अतिदेय (ओव्हर ड्यू) है, उन्हे ओव्हर ड्यू ऋण किश्त एवं ब्याज की राशि चुकाने के बाद ही ऋण स्वीकृत किया जावेगा।

(2) प्रत्येक मण्डी समिति को संवर्गवार अधिकतम ऋण की पात्रता निम्नानुसार रहेगी :-

मण्डी का संवर्ग	ऋण की पात्रता
''क''	400.00 लाख
''ख''	300.00 लाख
''ग''	200.00 लाख
''घ''	100.00 लाख
उपमण्डी (क्रियाशील)	60.00 लाख

K...2..Let

(अ) उपरोक्त पात्रता वृद्धि करने के जारी आदेश दिनांक से मंडियों की पात्रता मान्य होगी तथा पूर्व में जारी पात्रता के अनुसार मंडियों को स्वीकृत ऋण राशि के पश्चात पात्रता वृद्धि तक राशि स्वीकृत की जावेगी।

(ब) यदि पूर्व की स्वीकृत ऋण राशि की मूलधन राशि जमा हो गई है, तथा ब्याज शेष है तो उस स्थिति में भी नवीन ऋण स्वीकृत किया जावेगा।

(स) जो मण्डी समितियॉ वैधानिक निधियॉ नियमित रूप से जमा करा रही है उन्हे ही ऋण की पात्रता होगी।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय करने, शासकीय भूमि के प्रब्याजी एवं भू-भाटक राशि के भुगतान हेतु वास्तविक राशि की सीमा तक 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।

(4) सर्वप्रथम मण्डी समिति स्थाई निधि में उपलब्ध राशि का उपयोग सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर प्रांगण में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये करेगी। स्थाई निधि में राशि उपलब्ध न होने की दशा में ही मण्डी समिति कों ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

(5) मण्डी समितियों को कार्य विशेष के लिये स्वीकृत ऋण का मद परिवर्तन करने की स्वीकृति नही दी जावेगी। अन्य कार्य के लिये ऋण राशि का उपयोग करने पर 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज सहित एकमुश्त राशि वसूल की जावेगी।

(6) मंडियों के प्रांगण विकास कार्यो हेतु स्वीकृत ऋण भुगतान के पूर्व मंडियों से प्राप्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिये उपसंचालक (ऋण शाखा) बोर्ड मुख्यालय अधिकृत होगे।

(7) मण्डी समितियों को किसी भी कार्य के लिये एकमुश्त उधार दिया जावेगा, जो कि मण्डी समिति द्वारा पृथक खाते में रखा जायेगा और केवल स्वीकृत कार्य के लिये उसका उपयोग किया जावेगा।

(8) प्राप्त ऋण की राशि पृथक खाते में जमा की जावेगी। जमा की गई राशि का परिचालन सचिव एवं कार्यपालन यंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से हो सकेगा।

(9) निर्माण कार्य से संबंधित चलित एवं अंतिम देयकों को कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा देयक प्राप्त होने पर भौतिक प्रगति के आधार पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा :-

''कृषि उपज मण्डी समिति ..... जिला ..... के लिये मण्डी बोर्ड से कुल स्वीकृत ऋण राशि रूपयें ..... से संपादित होने वाले कार्य की भौतिक स्थिति के आधार पर देयक कमांक..... दिनांक..... राशि रूपयें ..... का सत्यापन किया गया। कार्य की प्रगति और गुणवत्ता के आधार पर राशि रूपयें ..... पारित करने योग्य है।''

(10) ऋण स्वीकृति के प्रस्ताव को संभागीय संयुक्त संचालक/उपसंचालक/ कार्यपालन यंत्री के माध्यम से उनके अभिमत/अनुशंसा सहित निम्नानुसार दर्शित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित बोर्ड मुख्यालय भेजा जावेगा :-

1/ म0प्र0कृषि उपज मण्डी (मण्डी निधि लेखा तथा राज्य विपणन सेवा के गठन की रीति तथा अन्य विषय) नियम 1980 के नियम-63 (1) में निर्धारित प्रारूप 14 में जानकारी दी जावेगी। प्रारूप 14 के बिन्दु 1 में मण्डी समिति के नाम के साथ-साथ मण्डी का वर्ग भी अंकित किया जावेगा।

2/ मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव/ठहराव की सचिव द्वारा प्रमाणित प्रति।

3/ मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान जिसमें प्रस्तावित निर्माण कार्य एवं पूर्व में उपलब्ध सुविधायें पृथक-पृथक रंगों में अंकित हो।

4/ प्रस्तावित निर्माण कार्यो की सत्यापित तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति, जिसमें कार्यो के आकार-प्रकार अंकित हो।

5/ शासन द्वारा मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण घोषित होने संबंधी अधिसूचना की प्रति।

6/ यदि ऋण उपमण्डी प्रांगण के लिए हो तो उपमण्डी क्रियाशील है या नही। इस संबंध में उपमण्डी की गत 3 वर्षो की आवक, आय-व्यय की जानकारी।

7/ मण्डी की गत तीन वर्षो की आवक, आय-व्यय एवं बचत की जानकारी।

8/ मण्डी के पास वर्तमान स्थिति में उपलब्ध चालू निधि एवं स्थायी निधि की जानकारी।

9/ पूर्व में प्राप्त तथा बकाया ऋण/ब्याज की जानकारी बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में वर्षवार एवं कार्यवार।

10/ बकाया बोर्ड शुल्क की जानकारी।

11/ पूर्व में प्राप्त ऋण का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यपालन यंत्री से सत्यापित।

12/ कार्यपालन यंत्री का स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं उपर्युक्ता प्रमाण-पत्र स्पष्ट अभिमत सहित।

13/ मण्डी में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान हो रहा है या नहीं? तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।

14/ प्राप्त किये जाने वाले ऋण की पुर्नभुगतान संबंधी प्रमाण-पत्र सचिव द्वारा प्रमाणित।

उपरोक्त के अतिरिक्त मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 के प्रावधान समय-समय पर संशोधित रूप में यथावत प्रभावशील रहेगे। संदर्भित पत्र की शेष कंडिकायें भी यथावत रहेगी।

यह प्रावधान ज्ञापन जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगे।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/ भोपाल, दिनांक /01/2015

प्रतिलिपि:- **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

(1) निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(2) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

(3) निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(4) मुख्य अभियंता, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(5) संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय/तकनीकी कार्यालय ..... (समस्त) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समितियों के ऋण प्रस्ताव अग्रेषित करने के पूर्व मण्डी समिति की शेष ऋण पात्रता, पुर्नभुगतान क्षमता आदि का परीक्षण कर अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा तथा वांछित जानकारी सहित प्रस्ताव अग्रेषित करे, ताकि अनावश्यक पत्राचार न होवे।

(6) संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(7) लेखाधिकारी, (लेखा/ऑडिट) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल